पर्यावरणीय विकास में स्कूल का प्रभाव
(Impact of School on Environmental Development)

रॉस (Ross) के अनुसार *Schools are those institutions devised by civilized man for the purpose of aiding in the preparation of the young for well adjusted and efficient membership of society.* (विद्यालय वे संस्थायें हैं जिनको सभ्य मनुष्य द्वारा इस उद्देश्य से स्थापित किया जाता है कि समाज में सुव्यवस्थित और कुशल सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता प्राप्त हो।)

समायोजन, आदर्शों, मानसिक प्रवृत्तियों—प्रेम, सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता, कर्तव्यपालन, आज्ञापालन, अनुशासन आदि का विकास उपर्युक्त पर्यावरण से होता है। **प्लेटो** (Plato) का कथन—*'If you want the child to appreciate and create beautiful things surround him with beautiful things.'* (यदि आप चाहते हैं कि बालक सुन्दर वस्तुओं की प्रशंसा करें और रचना करें तो उसे सुन्दर वस्तुओं से घेर दीजिये।)

विद्यालय शब्द विद्या या ज्ञान तथा आलय घर का अर्थ देता है अर्थात् विद्यालय ज्ञान का घर है। अंग्रेज भाषा का स्कूल (school) शब्द लैटिन भाषा 'School' शब्द अथवा ग्रीक भाषा के 'Schole' शब्द से बना है जिसका अर्थ है आराम (Rest) अथवा अवकाश (Leisure) किन्तु इसका अपना व्यापक अर्थ है। विद्यालय बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का केन्द्र होता है जिसका उद्देश्य समाज के सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों तथा ज्ञान का संरक्षण एवं संवर्धन है। **जॉन डेवी** (John Dewey) ने स्कूल की परिभाषा इस प्रकार से दी है—*"विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट परिवेश है जहाँ जीवन के विशिष्ट गुणों, क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो।"*

विद्यालय के भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक पर्यावरण का बहुमुखी प्रभाव होता है जो शिक्षा और प्रभाव घर तथा समाज में संभव नहीं वह विद्यालय के परिवेश में सरलता से संभव है। विद्यालय शिक्षा केन्द्र तो हैं ही, वे सांस्कृतिक विरासत को भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण करते हैं। अतः *"किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं वरन् विद्यालयों में होता है।" (The progress of a nation is decided not in legislatives, not in courts, not in factories but in schools).*

पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी विभाग के कार्य (Functions of the Department of Environment Conservation)—भारत में पर्यावरण नियोजन समिति एवं पर्यावरण विभाग अन्तर्अनुशासनिक अस्थायी उपसमितियाँ बनाकर विविध प्रकार की परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। इन उप-समितियों में परियोजना के विकास अधिकारियों तथा कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि पर्यावरण विभाग की संस्तुतियाँ परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनिवार्य रूप से लागू नहीं की जातीं तथापि इन पर उचित ध्यान दिया जाता है। किसी भी परियोजना के क्रियान्वयन में प्रदूषणरोधी प्राविधिकी तथा पर्यावरण सुरक्षा के उपाय आवश्यक रूप से लागू किये जाते हैं। उदाहारणार्थ—मुदुमलाई वन्य जीवन शरण स्थली नीलगिरि (तमिलनाडु) के मध्य में एक जल विद्युत परियोजना बनाई जानी थी। भारतीय पर्यावरण विभाग ने इस परियोजना से होने वाली पारिस्थितिक हानि से तमिलनाडु सरकार को अवगत कराया और यह परियोजना रोक दी गई।

राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन समिति और योजना आयोग औद्योगिक परियोजनाओं, सड़क एवं रेल निर्माण, खनन, जलविद्युत एवं सिंचाई सम्बन्धी परियोजनाओं के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की प्रश्नावली रखते हैं जिसे सम्बन्धित परियोजना के अधिकारियों को पूर्ण करना पड़ता है।

Scanned by TapScanner

वर्ष 1981-82 के अन्त तक 183 जल विद्युत परियोजनायें पर्यावरण विभाग को संदिर्भत की गईं। 51 नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया तथा पर्यावरण सुरक्षा के उपाय संस्तुत किये गये। ताप विद्युत संयंत्रों के 23 प्रस्तावों का पुनरीक्षण किया गया। विभिन्न उद्योगों के पर्यावरण प्रभावों का मूल्यांकन भी पर्यावरण विभाग द्वारा किया जाता है। सभी मंत्रालयों को निर्देश दिये गये कि सरकारी परियोजनाओं के व्यय में प्रदूषण-रोधी उपायों को अवश्य सम्मिलित करें। विशिष्ट परियोजनाओं तथा टिहरी बाँध में सुदूर तटवर्ती क्षेत्र में तेल की खुदाई के लिए निगरानी समितियाँ (Monitoring Committees) बनाई गई हैं।

पर्यावरण संरक्षण के कानूनी एवं प्रशासनिक पक्ष (Legislative and Administrative aspects of Envirionmental Conservation)—पर्यावरण प्रबन्ध में कानून एवं प्रशासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अत: इनके महत्त्व को समझना आवश्यक होता है।

(1) **प्रशासनिक पहलू** (Administrative Aspect)—राष्ट्रीय विकास प्रक्रिया को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए पर्यावरण अत्यन्त आवश्यक है। अत: प्रशासकीय उपाय भी अनिवार्य हो जाते हैं, पर्यावरण विभाग प्रशासनिक उपायों के क्रियान्वयन के लिए ही बनाया गया है। पर्यावरण विभाग पर्यावरण प्रबन्ध के विविध पक्षों की देखभाल करता है। यह प्रदूषण नियंत्रण एवं पारिस्थितिक पुन: स्थापना (Eco-restoration) के कार्यों में अपनी भूमिका अदा करता है। प्रशासनिक उपायों की क्षमता नीति संरचना से जुड़ी हुई है जिसमें प्रक्रिया, कारणों, वरीयताओं एवं प्रशासनिक रुचियों की गणना की जाती है। समुचित प्रशासनिक उपायों के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की आवश्यकता है।

(2) **कानूनी पहलू** (Legislative Aspects)—कानूनी उपाय पर्यावरण संरक्षण के प्रभावशाली कारक हैं। पहले उल्लेख किया जा चुका है, पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में अनेक कानून बनाये गये हैं। राष्ट्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक पर्यावरण संरक्षण के लिए लगभग 100 कानूनी उपाय किये गये हैं। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए कारगर तकनीक का अभाव अधिकारियों में कानून लागू करने की लगन एवं समर्पण का अभाव उपायों की प्रभाविता को कम कर देते हैं।

भारतीय संविधान की धारा 48A तथा 51A (g) में पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षक प्रत्येक व्यक्ति एवं राज्य का दायित्व है। *'राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार तथा देश के वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा का प्रयत्न करेगा।' (The state endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and the wild life of the county)* धारा 48A.

धारा 51 (g) के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य बतलाया गया है। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीवन हैं की रक्षा एवं सुधार प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्त्तव्य होगा तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना प्रत्येक भारतीय का कर्त्तव्य होगा।

(It shall be the duty of every citizen of India to protect and imporve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures) धारा 51 (g))

कानूनी पक्ष से जुड़ी हुई मुख्य समस्या कानून के क्रियान्वयन की है। सन् 1968 में कीटनाशक अधिनियम बनाया गया था परन्तु डी.डी.टी. और बी.एच.सी. का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। सन् 1974 में जल अधिनियम तथा सन् 1981 में वायु अधिनियम बनाये गये। किन्तु प्रभावकारी क्रियान्वयन न होने के कारण देश की विशाल नदियों में लगातार प्रदूषण बढ़ा तथा उद्योगों की समुचित स्थानों पर स्थापना न होने के कारण वायु प्रदूषण भी रोका नहीं जा सका।

भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नियोजन समिति गठित की है जो अनेक उपसमितियाँ बनाकर विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन कराता है। सन् 1980 में पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य आयामों को जानने के

Scanned by TapScanner

लिए एन.डी.तिवारी समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने जल, वायु, मिट्टी तथा खनिज प्रदूषण की स्थिति को उजागर किया। हिमालय के नाजुक पारितंत्र में इस समिति ने निर्वनीकरण, भूक्षरण, अवसादन, कटी-पिटी भूमि, बाढ़, सूखा आदि का मूल्यांकन किया तथा इस तथ्य पर बल दिया कि एक समृद्ध पारितंत्र (Eco-system) के निर्माण में 50 मिलियन वर्ष का समय लगता है, लेकिन इसे केवल 150 वर्षों में नष्ट किया जा सकता है। फलस्वरूप इस समिति ने भूमि सन्धान का संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय दशाओं में गिरावट तथा जल की अपर्याप्त आपूर्ति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की।

विकास के प्रमुख पहलू
(Main Aspects of Sustainable Development)

1960 ई. के दशक के अन्त तक सामान्यतः यह माना जाता था कि वातावरणीय संरक्षण (Environmental protection) तथा विकास एक-दूसरे के विलोम (opposite) हैं। दूसरे शब्दों में, वातावरण को क्षति पहुँचाए बिना विकास असम्भव है। यदि विकास करना है तो वातावरण की सुरक्षा के द्वारा के रूप में उसकी कीमत चुकानी होगी। परन्तु अब यह अनुपात किया जाने लगा है, दोनों एक-दूसरे के विलोम या विरोधी नहीं, वरन् अनुगामी हैं।

'संयुक्त राष्ट्र संघीय पर्यावरण कार्यक्रम' (U.N.E.P.) के पूर्व महासचिव मुस्तफा कमाल तोल्बा का मत है कि *"वातावरण संरक्षण के बिना विकास नहीं हो सकता और बिना विकास के वातावरण संरक्षण नहीं हो सकता"*

आज विश्व के विकसित देश वातावरणीय संरक्षण पर तथा विकासशील देश विकास पर बल दे रहे हैं। सविकास, ऐसा विकास है जो सामाजिक दृष्टि से वांछित, आर्थिक दृष्टि से (सन्तोषप्रद एवं पारिस्थितिक दृष्टि से) स्वस्थ हो।

टिकाऊ विकास के निम्नलिखित पक्ष हैं—

1. ठोस या टिकाऊ विकास (Sustainable Development),
2. समन्वित या समग्र विकास (Integrated or Total Development),
3. सन्तुलित विकास (Balanced Development)।

1. ठोस या टिकाऊ विकास (Sustainable Development)—ठोस या टिकाऊ विकास के अवधारणा वर्तमान के साथ-साथ भविष्य को भी समेटती है। इसे संधृत विकास भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विकास ऐसा हो, जो न केवल समाज की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, प्रत्युत स्थायी तौर पर भविष्य के लिए निर्बाध विकास का आधार प्रस्तुत करे। इसका उद्देश्य है— *'मानव समाज की विद्यमान मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति को, बिना भावी पीढ़ियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता को किसी प्रकार क्षति पहुँचाए, सुनिश्चित करना।'* ठोस विकास पर्यावरण के ऐसे संरक्षण पर जोर देता है जो मानव द्वारा संसाधन के उपयोग से विद्यमान पीढ़ी को अधिकतम स्थायी लाभ प्रदान करते हुए भावी पीढ़ियों की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के लिए उसकी संभाव्यावता को अक्षुण्ण रखे। इसमें पारितन्त्र के घटकों का परिरक्षण (Opreservation), रख-रखाव (Maintenance), पुनर्स्थापन (restoration), दीर्घावधिक एवं अनुकूलतम उपयोग, अभिवृद्धि (increase) आदि सम्मिलित हैं। ठोस विकास से मानव समाज की वर्तमान व भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

2. समन्वित या समग्र विकास (Integrated or Total Development)—ऐसा विकास जो पारितन्त्र की समग्रता को ध्यान में रखकर किया जाता है, समन्वित विकास कहलाता है। किसी राष्ट्र के सभी पर्यावरणीय घटकों—कृषि, मिट्टी, जल, वायु, वनस्पति, वन्य जीव-जन्तु, पशु-पक्षी, ऊर्जा तन्त्र, उद्योग विकास, विज्ञान

Scanned by TapScanner

एवं प्राविधिकी की जब एक साथ कोई विकास-नीति बनाई जाती है तो पर्यावरण को खतरों से बचाया जा सकता है। वर्तमान में आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण के एक-दो तत्त्वों पर इतना अधिक दबाव बढ़ गया है, जिससे प्रदूषण जैसी समस्याओं ने जन्म लिया है। ऊर्जा संकट, पर्यावरण संकट, विकास, संकट तथा सामजिकता विषमता जैसी अनेक समस्याएँ एक-दूसरे से भिन्न होते हुए हुए भी एक-दूसरे से जुड़ी हैं। विश्व के किसी भाग में होने वाली छोटी-सी घटना भी पर्यावरण के ह्रास तथा संसाधनों के विनाश का कारण बन सकती है। इसलिए सभी पक्षों को एक साथ रखकर विकास-नीति निर्धारित करनी चाहिए। ब्राजील में अमेजन घाटी के **सेल्वा (Selva)** वनों की कटाई से सम्पूर्ण विश्व की जलवायु पर प्रभाव पड़ा है। सेल्वा वनों को 'पृथ्वी के फेफड़े' (Earth's lungs) की संज्ञा दी जाती है। अमेजन घाटी के वनों की लगातार कटाई करते रहने से 'हरितगृह प्रभाव' (Green Hose Effect) का परिणाम पूरे विश्व को भोगना पड़ रहा है। अतः विकास संविकास संकल्पना का यह पक्ष विकास और पारिस्थितिकी दोनों को अन्योन्याश्रित मानते हुए समन्वित या समग्र विकास (Integrated or total development) पर बल देता है।

ठोस विकास ऐसा पर्यावरणीय संरक्षण नहीं है, जो पर्यावरण के संसाधन-दोहन (Resource Exploitation) पर अंकुश लगाने की ओर इंगित करता हो। यह मानव एवं वातावरण के मध्य सामंजस्य को किसी स्थैतिक दशा को बनाए रखने पर नहीं, वरन् एक ऐसी परिवर्तनशील प्रक्रिया को बल देता है, जो संसाधन-दोहन, पूँजी निवेश, प्राविधिकी विकास के सुझाव एवं संस्थागत परिवर्तनों को मानव समाज की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं से सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता दे सके। विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ की गई छेड़छाड़ का प्रकृति अब प्रत्युत्तर देने लगी है। कहीं पानी में नहाने व पीने मात्र से ही मौते हो रही है, कहीं मछलियों के खाने से शरीर में पारा पहुँच रहा है, कहीं ध्वनि-प्रदूषण व धुएँ से कैंसर, मानसिक बेचैनी व अनिद्रा की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

3. सन्तुलित विकास (Balanced Development)—यह ऐसी विकास व्यवस्था है, जिसमें पर्यावरण को क्षति पहुँचाए बिना समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम सुविधा का प्रबन्ध हो। आज असमानता (Inequality) विश्व की सबसे बड़ी पारिस्थितिक समस्या है। यह विकास के मार्ग में भी बाधक है। विकास के लाभ का वितरण सभी को समान रूप से नहीं मिला है, जिससे विश्व के देशों में असमानता बढ़ी है। विकसित देशों के निवासी जहाँ एक ओर विविध भौतिक वस्तुओं का अधिक मात्रा में अनावश्यक उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर अल्पविकसित देशों के निवासी जीवित रहने के लिए आवश्यक सुविधाओं से भी वंचित हैं। स्विट्जरलैण्ड का एक नागरिक उतना उपभोग करता है जितने में सोमालिया के 40 व्यक्तियों का गुजारा हो सकता हैं। विश्व के 150 करोड़ लोग ईंधन के लिए केवल वनों पर निर्भर करते हैं। उनकी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 50 डॉलर से भी कम है। यदि ऐसे लोग वातावरण को संरक्षण करने की सोचने लगें तो उन्हें 3 'F'- चारा (Fodder), ईंधन (Fuel) तथा भोजन (Food) कहाँ से उपलब्ध होगा। उनके लिए वातावरण संरक्षण का अर्थ है, मृत्यु का वरण करना।

गरीबी ऐसा दुश्चक्र (Vicious circle) है, जो विपन्नता में सतत् वृद्धि करता है। यही वातावरण के विनाश की भी जननी है। जब इस दुश्चक्र को सन्तुलित विकास के अस्त्र से तोड़ा जाता है तो टिकाऊ विकास की स्थिति आती है। 'पर्यावरणीय विकास के विश्व आयोग' (World Commission on Environmental Development-W.C.E.D) के अनुसार, *"असमानता (inequality) विश्व की सबसे बड़ी पारिस्थितिकीय समस्या है। यही विकास की भी सबसे बड़ी समस्या है।"*

अतः स्पष्ट है कि संविकास ऐसे आर्थिक विकास पर बल देता है, जिससे विकसित व अल्पविकसित देशों के मध्य सन्तुलन बना रहे।

Scanned by TapScanner